राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:-

1- समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान ।

2- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।

3- निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।

क्रमांक: प 6(4)राज-6/98/3 जयपुर, दिनांक 26-3-98

-: परिपत्र :-

विषय:- कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का कब्जा तत्काल देने बाबत ।

=== xx ===

1- राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का आवंटन किया जाता है । आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन करने के पश्चात नियम 15(1)(बी) में आवंटन अधिकारी सम्बन्धित पटवारी को आवंटित भूमि का तत्काल कब्जा देने के निर्देश देता है । नियम 15(2) में आवंटन आदेश के साथ आवंटित भूमि का नक्शा भी आवंटी को दिया जाता है एवं नियम 15(3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटन तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को आवंटित भूमि का भौतिक कब्जा दे दिया जावेगा । नियम 15(1)(सी) में यह भी प्रावधान है कि भूमि आवंटी को आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा आवंटन के एक माह के अन्दर नहीं मिले तो वह कलेक्टर को प्रार्थना - पत्र देगा और कलेक्टर आवंटन आदेश की पालना करायेगा ।

2- राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि उपरोक्त प्रावधान के पश्चात भी भूमिहीन आवंटितयों को आवंटित भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं दिया जाता है । ऐसी स्थिति में आवंटन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है ।

3- राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा देने हेतु उपरोक्त प्रावधानों की पालना हेतु समय समय पर आवश्यक निर्देश दिये जाते रहे हैं, जिसमें मुख्यत: परिपत्र संख्या 6(65)राज-4/84/16 दिनांक 20-10-84, 4-9-85, 7-1-88 एवं पं. 15(2)राज-6/95/17 दिनांक 5-8-95 है । इस सम्बन्ध में आवंटित भूमि का कब्जा देने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में राजस्व मण्डल को दिये जाने के निर्देश भी दिये हुए हैं ।

4- जो भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित होती है उनमें भूमि का नक्शा ट्रेस किये जाने का प्रावधान राजस्थान - भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम,

....

1970 मे है । यदि कोई खसरा नम्बर बडा हो और उसमे कई व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई हो तो ऐसे आवंटन आदेश के 15 दिन मे मौके पर आवंटित भूमि का सीमांकन कर आवंटी को कब्जा दिया जाकर भूमि का नक्शा ट्रेस किया जाना चाहिए । बडे खसरे में एक या एक से अधिक आवंटियों को किये गये आवंटन की नक्शे में कब्जे देने के साथ ही तरमीम कर नया खसरा नम्बर देकर पासबुक/पटटा व नक्शे की नकल भी एक माह के भीतर आवंटी को देने की कार्यवाही की जाये । राज्य सरकार के ध्यान मे लाया गया है कि अब भी बडे खसरो मे पुराने कई आवंटी है जिनके कब्जे की भूमि का नया खसरा नम्बर नहीं दिया तथा न ही नक्शे में तरमीम की गई एवं कई मामलों में गलत जगह कब्जा बताया गया । इस प्रकार मौके व रिकार्ड में समानता नहीं है । अत: उपरोक्त त्रुटियों को दूर किया जाये । नक्शों पर खेती की परिवर्तित सीमाओं का सीमांकन करने के लिए भी आवश्यक निर्देश परिपत्र दिनांक 20.11.87 जारी किये हुये है ।

§5§ आपसे पुन: अनुरोध है कि इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा किये गये निर्देशों की पालना की जावे ।

§6§ इस संबंध में यह भी निर्देश दिये जाते है कि जिला स्तर पर ऐसे प्रकरणों की समीक्षा शीघ्र की जाये तथा जिन प्रकरणों में अभी कब्जा नहीं दिया गया है उन प्रकरणो में शीघ्र नियमानुसार कब्जा देने की कार्यवाही की जावे ।

§7§ इस संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना राज्य-सरकार व राजस्व मण्डल को दी जाये ।

§ के0 पी0 सिंघल §
शासन उप सचिव